फा.सं. eGov/3/2024-e-Coord
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संविधान सदन,
नई दिल्ली-110001
तारीख: 19.02.2024

कार्यालय ज्ञापन

विषयः संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में जनवरी, 2024 का मासिक सारांश।

अधोहस्ताक्षरी को इसके साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के जनवरी, 2024 के मासिक सारांश की एक प्रति अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

ह./-
(पी.के. त्रिपाठी)
अवर सचिव, भारत सरकार
011-23034746

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. उपराष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आज़ाद रोड़, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सभी सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
8. सचिव/अपर सचिव के निजी सचिव।

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का जनवरी, 2024 का मासिक सारांश।

1. माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/प्रमुख उपलब्धियां:-

I. मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति की बैठक

मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति ने अंतरिम बजट सत्र, 2024 को आहूत करने संबंधी नोट सं.01/2024 पर विचार करने के लिए सोमवार, 8 जनवरी, 2024 बैठक आयोजित की और यह अनुमोदित किया कि संसद के दोनों सदनों को उनके अंतरिम बजट सत्र, 2024 के लिए बुधवार, 31 जनवरी, 2024 से बुलाया जाए और सरकारी कार्य की आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए सत्र को शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को समाप्त किया जाए।

II. अंतरिम बजट सत्र, 2024 (सत्रहवीं लोक सभा का 15वां सत्र और राज्य सभा का 263वां सत्र) का आरंभ

अंतरिम बजट सत्र, 2024 (सत्रहवीं लोक सभा का 15वां सत्र और राज्य सभा का 263वां सत्र) 31 जनवरी, 2024 से आरंभ हुआ।

III. राष्ट्रपति का अभिभाषण

भारत की माननीय राष्ट्रपति ने 31 जनवरी, 2024 को लोक सभा कक्ष में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया।

- **संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन**

जनवरी, 2024 माह के अंत में, लोक सभा के 676 और राज्य सभा के 638 आश्वासन लंबित थे। माह के दौरान, लोक सभा की कार्यवाही से 03 आश्वासन और राज्य सभा की कार्यवाही से 07 आश्वासन निकाले गए।

- **परामर्शदात्री समितियों का कार्यकरण**

जनवरी, 2024 के दौरान-

क. परामर्शदात्री समितियों की 02 बैठकें आयोजित की गईं।

ख. 05 संसद सदस्यों के नामों को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात परामर्शदात्री समितियों के सदस्यों की सूची से हटाया गया।

ग. विभिन्न परामर्शदात्री समितियों में 01 संसद सदस्य को नामित किया गया।

घ. सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न समितियों/बोर्डों /परिषदों/आयोगों में 04 संसद सदस्यों को नामित किया गया।

उपरोक्त विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

- **लोक सभा में नियम 377 के तहत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई**

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संबंध में लोक सभा में नियम 377 के तहत और राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों की स्थिति निम्नानुसार है:-

	लोक सभा में नियम 377 के तहत उठाए गए मामले	**राज्य सभा में नियम 180ए-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले**
दिनांक 01.01.2024 को लंबित मामले	491	139
माह के दौरान उठाए गए मामले	000	000
कुल मामलें	491	139
माह के दौरान प्राप्त उत्तर	064	006
माह के अंत में लंबित मामलें	**427**	**133**

- **युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना**

क. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 25वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 का राष्ट्रीय स्तरीय मूल्यांकन निम्नलिखित स्थानों पर पूरा किया गया:

(i) 17 और 18 जनवरी, 2024 को जवाहर नवोदय विद्यालय, चंद्रपुर (महाराष्ट्र)

(ii) 22 और 23 जनवरी, 2024 को जवाहर नवोदय विद्यालय, नालंदा (बिहार)

ख. जनवरी, 2024 के दौरान, कुल 73 विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों ने एनवाईपीएस पोर्टल पर पंजीकरण किया। 20 संस्थानों ने युवा संसद की बैठक आयोजित करने के बाद एनवाईपीएस पोर्टल पर पूर्णत: या आंशिक रूप से फोटो, वीडियो, रिपोर्ट, छात्रों का विवरण आदि अपलोड किया।

- **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)**

जनवरी, 2024 के दौरान नेवा के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

1. सीपीएमयू नेवा के अधिकारियों द्वारा गुजरात विधानसभा का दौरा

सीपीएमयू के अधिकारियों ने 18 जनवरी, 2024 से 20 जनवरी, 2024 तक गुजरात राज्य विधानमंडल का दौरा किया ताकि बजट सत्र के लिए उनकी तैयारी सुनिश्चित की जा सके। नेवा के माध्यम से बजट सत्र के दौरान सदन के सुचारू संचालन में सहायता प्रदान करने के लिए 31 जनवरी से सीपीएमयू की एक तकनीकी टीम भी विधानसभा में तैनात की गई।

2. सीपीएमयू की बैठक

विभिन्न राज्य विधानमंडलों में नेवा के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 16 जनवरी, 2024 को अपर सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में सीपीएमयू की एक बैठक आयोजित की गई।

3. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित कार्यशाला

1. शुक्रवार, 12 जनवरी, 2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक नेवा टीम ने API वॉयस टू वॉयस और वॉयस टू टेक्स्ट के कार्यान्वयन के लिए भाषिणी टीम के साथ एक आभासी सम्मेलन का आयोजन किया।

2. 12 जनवरी 2024 को अपराह्न 03:00 बजे पब्लिक पोर्टल फुटर में डिस्प्ले बजट पर पंजाब विधानसभा के लिए प्रदर्शन।

3. 11 और 12 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन मॉड्यूल्स पर मणिपुर विधान सभा के लिए दो दिवसीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रशिक्षण।

4. 08 जनवरी 2024 को अपराह्न 03:00 बजे प्रश्नों के स्वचालित नियतन पर गुजरात विधानसभा के लिए प्रदर्शन।

5. शुक्रवार, 2 जनवरी 2024 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक नेवा टीम ने कई भाषाओं में API टेक्स्ट टू टेक्स्ट के कार्यान्वयन के लिए भाषिणी टीम के साथ एक आभासी सम्मेलन का आयोजन किया।

4. नेवा में कृत्रिम बुद्धिमता का उपयोग: मशीन से मशीन अनुवाद
नेवा ने 'मेक इन इंडिया' अत्याधुनिक मशीन-टू-मशीन अनुवाद प्रौद्योगिकी की शुरुआत की है जो राज्य विधानमंडलों में वर्धित सटीकता, दक्षता और कामकाज में आसानी का भरोसा दिलाती है।

- **प्रोटोकॉल एवं कल्याण**
  30 जनवरी, 2024 को माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसद के अंतरिम बजट सत्र-2024 के लिए माननीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में दोनों सदनों में सभी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक बुलाई गई।

2. लंबे समय तक अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण रुके हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले
   -शून्य-

3. तीन महीने से अधिक समय से लंबित 'अभियोजन हेतु स्वीकृति' के मामलों की संख्या
   -शून्य-

4. उन मामलों का विवरण जिनमें कार्य निष्पादन नियमों या सरकार की स्थापित नीति से विचलन शामिल रहा।
   -शून्य-

5. जारी स्वच्छता अभियान की स्थिति (विशेष अभियान के तहत प्रगति)
   -गतिविधियां की जा रही हैं और उनकी नियमित निगरानी की जा रही है।

6. स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण की स्थिति
   -इस मंत्रालय के तत्वावधान में कोई स्वायत्त निकाय नहीं है।

7. शासन और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित टोल और अनुप्रयोगों के उपयोग हेतु उठाए गए विशिष्ट कदमों की जानकारी

- लागू नहीं-

8. स्वायत निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित मंत्रालय/विभाग में वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों की रिक्ति स्थिति

-वर्तमान में मंत्रालय में वरिष्ठ स्तर के सभी पद भरे हुए हैं।

9. उन मामलों की सूची जिनमें एसीसी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है

-शून्य-

10. माह के दौरान स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों का विवरण और मंत्रालय/विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों की स्थिति।

-शून्य-

अनुबंध–I

जनवरी, 2024 के दौरान आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	दिन, दिनांक और समय	मंत्रालय	विषय	स्थान/टिप्पणी
1.	मंगलवार, 16 जनवरी 2024 प्रातः 10:00 बजे	इस्पात	एनएमडीसी (नगरनार)	समिति कक्ष सं. '2', प्रथम तल, ए-ब्लॉक, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली
2.	मंगलवार, 30 जनवरी 2024, शाम 6:00 बजे	कृषि एवं किसान कल्याण	"पौधा संरक्षण और केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड"	समिति कक्ष "ग", संसदीय सौध, नई दिल्ली

जनवरी, 2024 माह के दौरान विभिन्न परामर्शदात्री समितियों में नामांकित संसद सदस्य

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम	परामर्शदात्री समिति का नाम जिसमें उन्हें नामांकित किया गया है	टिप्पणी
1.	श्री संजीव अरोड़ा, सांसद (रा.स)	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और संचार मंत्रालय	**18.01.2024 को नामांकित**

जनवरी, 2024 के दौरान मृत्यु/इस्तीफे/सेवानिवृत्ति /अनर्हता के कारण विभिन्न परामर्शदात्री समितियों से हटाए गए संसद सदस्यों के नाम

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम	परामर्शदात्री समिति का नाम जिसमें मनोनीत थे	कारण
1.	श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया, सांसद (राज्य सभा)	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	**18.08.2023 को राज्यसभा में कार्यकाल समाप्त हो गया था** (पत्र दिनांक 16.01.2024 को जारी किया गया)
2.	श्री जुगलसिंह लोखंडवाला, सांसद (राज्य सभा)	संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में)	**-वही-**
3.	श्री पि. भट्टाचार्य, सांसद (राज्य सभा)	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और संचार मंत्रालय*	**-वही-**
4.	श्रीमती शांता क्षत्री, सांसद (राज्य सभा)	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	**-वही-**
5.	सुश्री सुष्मिता देव, सांसद (राज्य सभा)	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय	**-वही-**

जनवरी, 2024 के दौरान भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/बोर्डों/परिषदों/आयोगों आदि में नामांकित संसद सदस्यों के नाम

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम	समिति/बोर्ड/परिषद/आयोग जिसमें नामांकित किया गया है	टिप्पणी
1.	श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या, सांसद (लोक सभा)	मेरा भारत का निदेशक मंडल	**18.01.2024 को नामांकित**
2.	श्री पल्लब लोचन दास, सांसद (लोक सभा)	मेरा भारत का निदेशक मंडल	**18.01.2024 को नामांकित**
3.	श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े, सांसद (राज्य सभा)	मेरा भारत का निदेशक मंडल	**18.01.2024 को नामांकित**
4.	श्री भोला सिंह, सांसद (लोक सभा)	भारतीय मानक ब्यूरो की शासी परिषद	**30.01.2024 को नामांकित**